



सराहनीय कार्य जनपद सम्भल पुलिस

दिनांक - 07.09.2020



श्रीमान पुलिस अधीक्षक सम्भल श्री यमुना प्रसाद के कुशल निर्देशन में जनपद सम्भल में दिनांक 07.09.2020 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये गये अभियान में निम्नलिखित कार्यवाही की गयी।

अवैध शराब निर्माण फैक्ट्री का पर्दाफाश व 1 ड्रम (20 लीटर) रेक्टिफाईड स्पिरिट व 1 ड्रम में (8 लीटर) शराब व 1 कि०ग्राम यूरिया व 25 पक्वे तैयार अवैध शराब व शराब बनाने के अन्य उपकरण के साथ व 02 अभियुक्त गिरफ्तार थाना कोतवाली सम्भल-

जनपद सम्भल में अवैध शराब के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में दिनांक 06.09.2020 प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सम्भल श्री अमित कुमार के नेतृत्व में 30नि० श्री अजय कुमार ने मय पुलिस टीम के मुखबिर की सूचना पर मौ० कबीर की सराय निकट बुलबुली मस्जिद के पास बाग में अवैध शराब का निर्माण करते हुये अभियुक्त 1. खन्नू, 2. राजपाल को गिरफ्तार किया गया। मौके से अभियुक्त गण के साथी 1. हरज्ञान, 2. चानू भाग जाने में सफल रहें। बरामद रेक्टिफाईड स्पिरिट तथा शराब व अन्य सामान की अनुमानित कीमत लगभग 25 हजार है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. खन्नू पुत्र लक्ष्मण नि० हल्लू सराय थाना कोतवाली सम्भल जनपद सम्भल
2. राजपाल पुत्र हुकम सिंह नि० शाहपुर चमारान थाना नखासा जिला सम्भल

फरार अभियुक्त का नाम व पता-

1. हरज्ञान पुत्र भगवान दास नि० ग्राम रायपुर थाना हयातनगर जनपद सम्भल
2. चानू पुत्र राजीव कुमार भटनागर नि० ग्राम गुमसानी थाना असमौली जनपद सम्भल

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक -

मौ० कबीर की सराय निकट बुलबुली मस्जिद के पास बाग में, दि० 06.09.2020।

बरामदगी का विवरण -

1. 1 ड्रम रेक्टिफाईड स्पिरिट कुल 20 लीटर
2. 1 ड्रम में (8 लीटर) शराब



3. 1 कि०ग्राम यूरिया

4. 25 पक्वे तैयार अवैध शराब

शराब बनाने के उपकरण - (दो प्लास्टिक की बाल्टी , एक प्लास्टिक मग , एक सूजा , (01 किलो यूरिया खाद्य , 25 पक्वे भरे हुये है (15 पक्वे तैयार जिस पर हरा ढक्कन सील है तथा जिस पर दिलदार सिंभाली शुगर लिमिटेड लिखा है तथा 10 पक्वे तैयार जिसपर पीले रंग का ढक्कन तथा मिस इन्डिया लिखा है) , दस खाली पक्वे जिनपर मिस इन्डिया लिखा है, 15 पीले रंग के ढक्कन मय सील)

पंजीकृत अभियोग –

1.मु०अ०सं० 442/2020 धारा-60/63/72 आबकारी अधि० व धारा 420/467/468/ 272/ 273 भादवि थाना कोतवाली सम्भल जनपद सम्भल बनाम खन्नू आदि

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम–

- 1-उ०नि० श्री अजय कुमार थाना कोतवाली सम्भल
- 2- हे०का० 179 कृष्णपाल सिंह थाना कोतवाली सम्भल
3. का० 610 अजय कुमार थाना कोतवाली सम्भल
4. का० 667 अंकुर कुमार थाना कोतवाली सम्भल

जुआ खेलते हुए 02 अभियुक्त गिरफ्तार थाना कोतवाली सम्भल-

मु०अ०सं० 441/2020 धारा 13जी एक्ट में अभियुक्त 1.मतीन पुत्र मोबीन निवासी कोटगर्वी थाना कोतवाली सम्भल जनपद सम्भल, 2. नौशाद पुत्र शफीक निवासी उपरोक्त को उ०नि० प्रबोध कुमार ने 1700 रूपये व 52 ताश के पत्तों के साथ गिरफ्तार किया गया ।



फर्जी पुलिस अधिकारी व पत्रकार बनकर उगाही करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार थाना गुन्नौर-

दिनांक 06.09.2020 को वादी यशपाल पुत्र नत्थूसिंह निवासी धनीपुर थाना गुन्नौर जनपद सम्भल को फर्जी पुलिस समाचार सर्विस अधिकारी बताते हुए झूठे मुकदमे में जेल भिजवाने तथा मुकदमे से बचाने में दस हजार रू० की मांग करना करने सम्बन्ध में थाना



गुनौर पर मु0अ0सं0 770/2020 धारा 420/467/468/471/388 भादवि पंजीकृत कर 04 अभियुक्त गण 1-अजीत पुत्र विजयपाल, 2-प्रताप सिंह पुत्र सत्यपाल, 3-कुलदीप पुत्र भगवानसिंह निवासी मिर्जापुर मौसमपुर थाना जरीफनगर जनपद बदायूँ 4-दानवीर पुत्र सत्यपाल निवासी कादरनगर उर्फ कादरचैक थाना जरीफनगर जनपद बदायूँ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 03 मोबाईल, 04 आई कार्ड तथा 04 नोटिस मय छाया प्रति मय 01 अदद वाहन वैगनआर नं0 डीएल 3सी एडी2711 बरामद किये गये।

02 गोवंशीय पशु / काटने के उपकरण / अवैध शस्त्र के साथ 05 अभियुक्त गिरफ्तार थाना बनियाठेर-

मु0अ0सं0 231/2020 धारा 3/5क/8 गोवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम में अभियुक्त गण 1.पप्पू पुत्र मुलायम सिंह निवासी ग्राम गोविन्दपुर थाना मुढापांडे जनपद मुरादाबाद, 2. लाल सिंह पुत्र दीपचन्द्र निवासी उपरोक्त, 3.शुभम पुत्र राकेश निवासी कादरपुर चौक थाना कादरपुर जनपद सम्भल, 4.मनोज पुत्र पप्पू निवासी उपरोक्त, 5.मुनेश पुत्र रामभरोसे निवासी कस्बा व थाना शाहबाद जनपद रामपुर को 02 अदद गोवंशीय पशु, 01 पिकअप गाड़ी, 02 बाइक व काटने के उपकरण तथा 01 अदद तमन्चा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। अवैध शस्त्र की बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 232/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम मुनेश उपरोक्त पंजीकृत किया गया।



राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार थाना कुढफतेहगढ-

मु0अ0सं0 85/2020 धारा 9/39/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में अभियुक्त 1. अरबाज पुत्र सुक्रदीन, 2. आरिफ पुत्र अकबर निवासीगण ग्राम नगला पूर्वा थाना कुढफतेहगढ जनपद सम्भल को उ0नि0 हरलाल सिंह द्वारा जंगल ग्राम राजथल से गिरफ्तार किया गया।

